

THE MAKING OF INDIA'S CONSTITUTION





of the Constituent Assembly



4ug. 29, 1947

Drafting Committee appointed

Nov. 26, 1949

Drafting completed

Jan. 24, 1950

The handwritten Constitution signed

Dec. 11, 1946

Dr Rajendra Prasad elected as its President

Nov. 4, 1947

Draft constitution submitted

Jan. 26, 1950

Constitution legally

enforced

2 YEARS, 11 MONTHS, 18 DAYS

Time taken to prepare the final draft



2000

Amendments made before it was finalised

NEWS Creative



Composition of The Constituent Assembly:

The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. The features of the scheme were:



संविधान सभा की संरचना:

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत नवंबर 1946 में किया गया था। योजना की विशेषताएं थीं: 389 93-(296) British

The total strength of the Constituent Assembly was to be 389, of these, 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to the Princely States.

Out of 296 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the eleven governors' provinces2 and four from the four chief commissioners' provinces3, one from each.



1. संविधान सभा की कुल संख्या 389 होनी थी, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी थीं।

ब्रिटिश भारत को आवंदित 296 सीटों में से 292 सदस्यों को ग्यारह राज्यपालों के प्रांतों से 2 और चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चार, प्रत्येक से एक तैयार किया जाना था ।



2.

Roughly, one seat was to be allotted for every

million population.

3.

Seats allocated to each British province were to be divided among the three principal communities—Muslims, Sikhs and general (all except Muslims and Sikhs), in proportion to their population.



2. मोटे तौर पर हर दस लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी।

3. प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी आबादी के अनुपात में तीन प्रमुख समुदायों-मुस्लिमों, सिखों और सामान्य (मुसलमानों और सिखों को छोड़कर) के बीच विभाजित किया जाना था।

भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य AFALTA CLASS



1. विजयलक्ष्मी पंडित	9. कमला चौधरी	
2 . राजकुमारी अमृत कौर	10. रेणुका रॉय	
3. सिरोजिनी नायडू	11. मालती चौधरी	
4. सुचेता कृपलानी	12. दक्षयानी वेलायुदन	
5. पूर्णिमा बनर्जी	13. बेगम एजाज रसूल	
6. लीला राय	14. ऐनी मस्करीनी	
7. जी दुर्गाबाई	15. अम्मू स्वामीनाथन	
8. हंसा मेहता		

> Gandhe Ji X SAFALTA CLASS An Initiative by SHR3531611



Working of the Constituent Assembly

The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. The Muslim League boycotted the meeting and insisted on a separate state of Pakistan.



संविधान सभा का कार्य संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित की थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए अलग राज्य पाकिस्तान पर जोर दिया।





The meeting was thus attended by only 211 members. Dr Sachchidanand Sinha, the oldest member, was elected as the temporary President of the Assembly, following the French practice.

Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the Vice-Presidents of the Assembly. In other words, the Assembly had two Vice-Presidents.




इस तरह बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया।

सबसे उम्रदराज सदस्य डॉ सिन्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का

अस्थायी अध्यक्ष चुना गया ।

बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया



दूसरे शब्दों में, विधानसभा में दो उपाध्यक्ष थे।



Objectives Resolution

On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic 'Objectives Resolution' in the Assembly.

This Resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. Its modified version forms the Preamble of the present Constitution.



उद्देश्य) संकल्प

13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य संकल्प' पेश किया।

इस प्रस्ताव को विधानसभा ने 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था।

344 2191

इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना



Functions:

It ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949.

It adopted the national flag on July 22, 1947.

It adopted the national anthem on January 24, 1950.



कार्यों:

- 1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी।
- 2. इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।
- 3. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था।



4.

It adopted the national song on January 24, 1950.

5.

It elected Dr Rajendra Prasad as the first President of India on January 24, 1950.

In all, the Constituent Assembly had 11 sessions over two years, 11 months and 18 days.



4. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया।

5. इसने 24 जनवरी, 1950 को ड्रॉ राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। कुल मिलाकर सविधान सभा में दो साल, 11 महीने और 18 दिन में 11 सन्न हुए।



Major Committees

- 1. Union Powers Committee Jawaharlal Nehru
- 2. Union Constitution Committee Jawaharlal Nehru
- 3. Provincial Constitution Committee Sardar Patel
- 4. Drafting Committee Dr. Ambedkar



प्रमुख समितियां

- 1. केंद्रीय अधिकार समिति जवाहरलाल नेहरू
- 2. संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू
- 3. प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल
- 4. ड्राफ्टिंग कमेटी डॉ. अंबेडकर



- 5. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas Sardar Patel.
- 6. Rules of Procedure Committee Dr. Rajendra Prasad
- 7. States Committee (Committee for Negotiating with States) Jawaharlal Nehru
- 8. Steering Committee Dr. Rajendra Prasad



26

5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति - सरदार पटेल।

हैं. प्रक्रिया समिति के नियम - डॉ राजेंद्र प्रसाद

र्र. राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) - जवाहरलाल नेहरू

8. संचालन समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद



Minor Committees

- 1. Finance and Staff Committee Dr. Rajendra Prasad
- 2. Credentials Committee Alladi Krishnaswami Ayyar
- 3. House Committee B. Pattabhi Sitaramayya



छोटी समितियां

- 1. वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉ राजेंद्र प्रसाद
- 2. साख समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- 3. सभा समिति बी पट्टाभि सीतारामैया



- 4. Order of Business Committee Dr. K.M. Munshi
- **5.** Ad-hoc Committee on the National Flag Dr. Rajendra Prasad
 - 6. Committee on the Functions of the Constituent Assembly G.V. Mavalankar
 - 7. Ad-hoc Committee on the Supreme Court S. Varadachari (Not an Assembly Member)



- 4. व्यापार समिति का आदेश डॉ. केएम मुंशी
- 5. राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉ राजेंद्र प्रसाद
- 6. संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर
- 7. सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी (विधानसभा सदस्य नहीं)



Drafting Committee

7 members 1+6

Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee set up on August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new Constitution.



ड्राफ्टिंग कमेटी

संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित ड्राफ्टिंग कमेटी थी। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था।



It consisted of seven members. They were:

- 1. Dr B R Ambedkar (Chairman)
- 2. N Gopalaswamy Ayyangar
- 3. Alladi Krishnaswamy Ayyar
- 4. Dr K M Munshi



इसमें सात सदस्य शामिल थे। वो थे: 1. ड्रॉ बी आर अंबेडकर (अध्यक्ष) एन गोपालस्वामी अयंगर 3. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर डॉ के एम मुंशी



- 5. Syed Mohammad Saadullah
- 6. N Madhava Rau (He replaced B L Mitter who resigned due to ill-health)
- 7. T T Krishnamachari (He replaced D P Khaitan who died in 1948)



- 5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
- 6. एन माधव राऊ (उन्होंने बी एल मिटर की जगह ली जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया)
- 7. टी टी कृष्णमाचारी (उन्होंने डी पी खेतान की जगह ली जिनकी मृत्यु 1948 में हुई थी)



Sessions	Period
First Session	9-23 December, 1946
Second Session	20-25 January, 1947
Third Session	28 April-2 May, 1947
Fourth Session	14-31 July, 1947
Fifth Session	14-30 August, 1947
Sixth Session	27 January, 1948
Seventh Session	4 November, 1948-8 January, 1949
Eighth Session	16 May-16 June, 1949
Ninth Session	30 July-18 September, 1949
Tenth Session	6-17 October, 1949
Eleventh Session	14-26 November, 1949

Note: The Assembly met once again on 24 January, 1950, when the members appended their signatures to the Constitution of India.

भारत की राजव्यवस्था



तालिका 2.5 संविधान सभा के सत्र: एक नजर में

सत्र		अवधि
पहल	ा सत्र	9-23 दिसम्बर, 1946
दूसर	ा सत्र	20-25 जनवरी, 1947
तीस	रा सत्र	28 अप्रैल - 2 मई, 1947
चौथ	। सत्र	14-31 जुलाई, 1947
पाँच	वां सत्र	14-30 अगस्त, 1947
छठा	सत्र	27 जनवरी, 1948
सात	वौँसत्र	4 नवम्बर, 1948 - 8 जनवरी, 1949
आठ	वाँ सत्र	16 मई - 16 जून, 1949
नवाँ	सत्र	30 जुलाई - 18 सितम्बर, 1949
दसव	ाँ सत्र	6-17 अक्टूबर, 1949
ग्यार	हवाँ सत्र	14-26 नवम्बर, 1949

टिप्पणी: सभा 24 जनवरी 1950 को पुन: बैठी जबिक सदस्यों ने भारत के सिवधान पर अपने हस्ताक्षर किए।



Sources eatures Borrowed

- Government of India Act of 1935
- Federal Scheme, Office of governor, Judiciary, Public Service Commissions, Emergency provisions and administrative details.
- British Constitution

Parliamentary government, Rule of Law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges and bicameralism


US


Fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and high court judges and post of vicepresident.

Irish

Directive Principles of State Policy, nomination of members to Rajya Sabha and method of election of president.









तालिका 3.4 संविधान के स्रोत, एक नजर में




स्त्रोत	ली गयी विशेषताएं
1. भारत शासन अधिनियम, 1935	संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण।
2. ब्रिटेन का संविधान	संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमण्डल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान	मूल अधिकार, न्यायापालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उप-राष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
4. आयरलैंड का संविधान	राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन।
5. कनाडा का संविधान	सशक केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र में निहित होना, केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का




6.	ऑस्ट्रेलिया का संविधान	समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
7.	जर्मनी का वाइमर संविधान	आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन।
8.	सोवियत संघ (पूर्व) का संविधान	मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श।
9.	फ्रांस का संविधान	गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।
10.	दक्षिणी अफ्रीका का संविधान	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
11.	जापान का संविधान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

Numbers	Subject Matter	Articles Covered
First Schedule	1. Names of the States and their territorial jurisdiction.	1 and 4
	2. Names of the Union Territories and their extent.	
Second Schedule	Provisions relating to the emoluments, allowances, privileges and so on of:	59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 & 221
	The President of India	
	2. The Governors of States	
	The Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha	
	4. The Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha	
	The Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the states	
	6. The Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council in the states	
	7. The Judges of the Supreme Court	
	8. The Judges of the High Courts	









ì				SAFALTA CLASS™
	Fourth Schedule	Allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories.	4 and 80	An Initiative by SIMPR STAIRI
	Fifth Schedule	Provisions relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes.	244	
	Sixth Schedule	Provisions relating to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.	244 and 275	AMTM
	Seventh Schedule	Division of powers between the Union and the States in terms of List I (Union List), List II (State List) and List III (Concurrent List). Presently, the Union List contains 100 subjects (originally 97), the state list contains 61 subjects (originally 66) and the concurrent list contains 52 subjects (originally 47).	246	ZINGO! ZINGO!



Eighth

Languages recognized by the Constitution. Originally, it had 14 languages but presently there are 22 languages. They are: Assamese, Bengali, Bodo, Dogri (Dongri), Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Mathili (Maithili), Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Sindhi was added by Schedule the 21st Amendment Act of 1967; Konkani, Manipuri and Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992; and Bodo, Dongri, Maithili and Santhali were added by the 92nd Amendment Act of 2003. Oriya was renamed as 'Odia' by the 96th Amendment Act of 2011.

344 and 351

Ninth



Acts and Regulations (originally 13 but presently 282)19 of the state legislatures dealing with land reforms and abolition of the zamindari system and of the Parliament dealing with other matters. This schedule was added by the 1st Amendment (1951) to Schedule protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review.





Tenth Schedule	Provisions relating to disqualification of the members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection. This schedule was added by the 52 nd Amendment Act of 1985, also known as Antidefection Law.	102 and 191
Eleventh Schedule	Specifies the powers, authority and responsibilities of Panchayats. It has 29 matters. This schedule was added by the 73 rd Amendment Act of 1992.	243-G
	Specifies the powers, authority and responsibilities of	

क्र. सं.	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची	 राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं 	1 एवं 4
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति 5. राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप-सभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	59,65,75,97, 125,148,158,164, 186, एवं 221
	 राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधान परिषदों के सभापित और उप-सभापित 	



तीसरी अनुसूची

इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं ये उम्मीदवार हैं:

75,84,99,124,146, 173,188 एवं 219

- 1. संघ के मंत्री
- 2. संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी
- 3. संसद के सदस्य
- 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- 6. राज्य मंत्री
- 7. राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
- 8. राज्य विधानमण्डल के सदस्य
- 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश



चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।	4 एवं 80
पांचवीं अनुसूची	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध	244
छठी अनुसूची	असम, मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	244 एवं 275
सातवीं अनुसूची	संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 100 विषय), राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 61 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय) के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन।	246
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22)। ये भाषाएं हैं- असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तिमल, तेलुगू तथा उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली	344 एवं 351



को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 'उड़िया' का नाम बदलकर 2011 में 'ओडिया' कर दिया।


नवीं अनुसूची

भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलत: 13 परन्तु वर्तमान में 282)। '' इस अनुसूची को पहले संशोधन (1951) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंधन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सिम्मिलत कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल, 1975 के बाद सिम्मिलत कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

31-ख



दसवीं अनुसूची	दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल-परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।	102 एवं 191
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-ন্ত
बारहवीं अनुसूची	नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-ब










VI The State Governments	152 to 237
Chapter I – General	152
Chapter II – The Executive	153 to 167
Chapter III - The State Legislature	168 to 212
Chapter IV - Legislative Powers of Governor	213
Chapter V – The High Courts	214 to 232
Chapter VI - Subordinate Courts	233 to 237
	238



(deleted)
239 to 242
243 to 243- 0
243-P to 243-ZG
243-ZH to 243-ZT
244 to 244- A
245 to 263
245 to 255
256 to 263

XI	Relations between the Union and the States	245 to 263	l
	Chapter I – Legislative Relations	245 to 255	
	Chapter II – Administrative Relations	256 to 263	
XII	Finance, Property, Contracts and Suits	264 to 300- A	00-
	Chapter I – Finance	264 to 291	
	Chapter II – Borrowing	292 to 293	
	Chapter III – Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits	294 to 300	
	Chapter IV - Right to Property	300-A	
XIII	Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India	301 to 307	
XIV	Services under the Union and the States	308 to 323	
	Chapter I – Services	308 to 314	
	Chapter II - Public Service Commissions	315 to 323	
		323-A to	







18				
XVIII	Emergency Provisions	352 to 360		
XIX	Miscellaneous	361 to 367		
XX	Amendment of the Constitution	368		
XXI	Temporary, Transitional and Special Provisions	369 to 392		
XXII	Short title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals	393 to 395		
	$(25) \Rightarrow 22 - (74) -$	+ 4A +	9 A + 9 14A	8+



भाग	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
Ī	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व	36 से 51
IVΨ	मौलिक कर्तव्य	51-क



V	संघ सरकार	52 से 151
	अध्याय-I-कार्यपालिका	52 से 78
	अध्याय-II-संसद	79 से 122
	अध्याय-III-राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां	123
	अध्याय-IV-संघ की न्यायपालिका	124 से 147
	अध्याय-V-भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	148 से 151
VI	राज्य सरकारें	152
	अध्याय-I-साधारण	152 से 237
	अध्याय-II-कार्यपालिका	153 से 167
	अध्याय-III-राज्य का विधानमंडल	168 से 212
	अध्याय-IV-राज्यपाल की विधायी शक्तियां	213



	अध्याय-V-राज्यों के उच्च न्यायालय	214 से 232
	अध्याय-VI-अधीनस्थ न्यायालय	233 से 237
VII	राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (निरस्त))	238 निरस्त
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243-ण
IXक	नगरपालिकाएं	243-त से 243-छ
IXख	सहकारी समितियां	243-ZH से 243-ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244-क
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
	अध्याय-I-विधायी संबंध	245 से 255
	अध्याय-II-प्रशासनिक संबंध	256 से 263



XII	वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद	264 से 300-1
	अध्याय-I-वित्त	264 से 291
	अध्याय-II-ऋण लेना	292 से 293
	अध्याय-!!!-संपत्ति, संविदायें, अधिकार, बाध्यताएं और वाद	294 से 300
	अध्याय-IV-संपत्ति का अधिकार	300−क
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 से 323
	अध्याय-I-सेवायें	308 से 314
	अध्याय-II-लोक सेवा आयोग	315 से 323
XIV	अधिकरण	323-क से 323-ख
xv	निर्वाचन	324 से 329-क
XVI	कुछ वर्गों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान	330 से 342
XVII	राजभाषा	343 से 351
	अध्याय-I-संघ की भाषा	343 से 344
	अध्याय-II-प्रादेशिक भाषाएं	345 से 347
	अध्याय- -सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा	348 से 349
	अध्याय-IV-विशेष निदेश	348 से 349



XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395



गिलका 2.2 सेविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम (जुलाई-अगस्त 1946)

क्रम संख्या	दल का नाम	सीटें जीतीं
1.	कांग्रेस	208
2.	मुस्लिम लीग	73
3.	यूनियनिस्ट पार्टी	1
4.	यूनियनिस्ट मुस्लिम्स	1
5.	यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स	1
6.	कृषक प्रजा पार्टी	1
7.	शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन	1
8.	सिख (नॉन कांग्रेस)	1
9.	कम्युनिस्ट पार्टी	1
10.	इंडिपेंडेंट्स (स्वतंत्र)	8
	कुल	296



तालिका 2.3 सेविधान सभा (1946) में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

क्रम संख्या	समुदाय	शक्ति
1.	हिन्दू	163
2.	मुस्लिम	80
3.	अनुसूचित जाति	31
4.	भारतीय ईसाई	6
5.	पिछड़ी जनजातियां	6
6.	सिख	4
7.	ऐंग्लो-इंडियन	3
8.	पारसी	3
	कुल	296